Superintendents in Delhi and out side Delhi;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(c) what is the tenure fixed for serving in a Division out side Delhi; and

(d) what are the reasons for not posting the staff back to Delhi who have completed their tenure outside Delhi, particularly, when there are so many other officers who have not been posted outside Delhi even once ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The broad parameters of transfer policy followed by the Collecto-rate of Central Excise, Delhi, *inter-alia* include rotation of Inspectors etc. from one charge to another after 2 years, and change of station i.e. from Delhi to outside Divisions at an interval of 2-3 years for Inspectors/ Superintendents at Ambala/ Rohtak and Faridabad and 10 years for Superintendents at Delhi (including the stay at Delhi as Inspectors).

(d) In many cases, officers, who are posted outside Delhi and have not requested for transfer back to Delhi, have not been disturbed though their tenure outside Delhi is over. As regards officers who have not so far been posted outside Delhi ever once, they are also liable to be transferred and when vacancies outside Delhi are to be filled in. Such transfers are based on stay in Delhi, specific requests and administrative grounds.

Proposal to Reduce Import Duty on Iron and Steel

1744. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to reduce import duty on iron and steel items including raw materials to tide over the crisis in the steel sector; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) For the present, there is no proposal under Government's consideration to reduce import duty on iron and steel items including raw materials.

R. B. I. Orders on Nehru Rojgar Yojna

1745. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has issued orders to stop Nehru Rojgar Yojna and S.E.P.U.P. schemes; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No, Sir. Self Employment Programme for Urban Poor (SEPUP) has been merged with the Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME) under Nehru Rozgar Yojna (NRY) with effect from 1-4-1992. Reserve Bank of India has devised the public sector banks accordingly.

उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋण

1746. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्थावार मंजूर किये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संदर्भ में कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) क्या इस वितरण के संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में मंजूर किए गए ऋण और संवितरित की गयी राशियां नीचे दी गयी हैं :—

(करोड़ रुपये)

संस्था का नाम	1989-90 (अप्रैल-मार्च)		1990-91 (अप्रैल-मार्च)	
	मंजूर की गयी राशि	संवितरित की गयी राशि	मंजूर की गयी राशि	संवितरित की गयी राशि
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	607.9	415.0	592.5	340.2
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	202.2	116.7	291.1	172.0
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	135.5	76.5	152.3	97.2
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	—	—	189.4	156.3
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	8.7	9.3	17.6	13.0

टिप्पणी :—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2-4-1990 से ही अपना काम शुरू किया है।

(ग) संवितरणों में किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में किसानों को सहायता प्रदान किया जाना

1747. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान लघु तथा सीमान्त किसानों को उथले ट्यूबवेलों को गहरा करने तथा सही ढंग से खोदने के लिए सहकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ली गई सहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है ,

(ख) क्या इस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने के मामले में सरकार को किसी भ्रष्टाचार की सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनको आंकड़ा सूचना प्रणाली से उथले पानी के ट्यूबवैल को गहरा करने और उसकी खुदाई के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को दिए गए ऋण के जिलावार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि जून 1989 और 1990 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को